संख्या– 62 / उन्तीस(2)07–2(61पे0) / 2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
सम्बन्धित जनपद
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 22 मार्च, 2007

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में जिला योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम कार्यालय, पत्र संख्या 052 / धनावंटन प्रस्ताव / दिनांक 08.01.2007 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 1034 / उन्तीस(2) / 06–2(61पे0) / 2006, दिनांक 26.05.06 एवं शासनादेश संख्या 1406 / उन्तीस(2) / 06–2(61पे0) / 2006, दिनांक 29.06.06 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला योजना की सामान्य श्रेणी की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तृतीय किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनपदवार निम्नलिखित विवरणानुसार कुल रू0 184.21 लाख (रू0 एककरोड चौरासी लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु शासनादेश के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि (लाख रू0 में)

क्रमांक	जनपद का नाम	पूर्व अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	4	5
1	उत्तरकाशी	425.00	–
2	चमोली	185.00	05.00
3	रूद्रप्रयाग	320.00	10.00
4	टिहरी	670.00	03.05
5	देहरादून	140.00	–
6	पौड़ी	945.00	80.00
7	हरिद्वार	90.00	30.00
8	पिथौरागढ़	340.00	09.71
9	चम्पावत	290.00	–
10	अल्मोड़ा	330.00	07.12
11	बागेश्वर	260.00	–
12	नैनीताल	360.00	39.33
13	उधमसिंह नगर	145.00	–
	योगः–	4500.00	184.21

2— उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तरांचल पेयजल निगम के संबंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल संबंधित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार किश्तों में पूर्व स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग अथवा 80 प्रतिशत धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा। जिन जनपदों में पूर्व में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग हो चुका है, वे आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण कर सकते है।

3— समय पर उक्त धनराशि का उपयोग नही होता हैं तो इसका और कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा।

4— स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उ0 प्र0शासन के वित्त लेखा अनुभाग—2 के शासनादेश सं0—ए—2—87(1)/दस—97—17(4)/75 दिनांक 27—2—97 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिषत से अधिक अनुमन्य नही होगी। इसका कृपया कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगणनों में सैन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

5— स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतया चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा चालू योजनायें शेष न होने पर ही नये कार्यो पर योजनावार विवरण उपलब्ध कराने पर शासन की अनुमति के उपरांत ही धनराशि व्यय की जायेगी।

6— उक्त स्वीकृत धनराशि से जिला योजना में अनुमोदित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कियान्वयन उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा।

7—जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन0सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

8— स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके संबंध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही हैं अथवा जो विवादग्रस्त है। यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि स्वीकृत धनराशि जिला नियोजन तथा अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो पर एवं एन0 सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु व्यय की जायेगी।

9— व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति

क्रमश...3

अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

11– स्वीकृत धनराशि से वही कार्य किया जायेगा जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हों ।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व, पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त का प्रस्ताव किया जायेगा।

13–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03 .2007 तक पूर्ण उपयोग करके इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति एंव उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

14– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या –13 के लेखाषीर्षक–2215–जलापूर्ति तथा सफाई 01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–91–जिलायोजना–01–ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 2295/XXVii(2)/2007 दिनांक 21 मार्च , 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 62 /उन्तीस/07–2 (61पे0)/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त गढवाल/कुमायूँ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम, संबंधित जनपद।
8– वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/बजट सैल, उत्तरांचल शासन।
9– संयुक्त विकास आयुक्त गढवाल/कुमायूँ मण्डल।
10–आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।
11–स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

कमश..4

12–संबंधित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी उत्तरांचल पेयजल निगम, संबंधित जनपद।
13– निदेशक, सूचना एवं लोक सर्म्पक निदेशालय, देहरादून।
14– निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी,
15– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
16– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

220307008

220307 13 PDF